National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2015; 1(1): 40-41
© 2015 NJHSR
www.sanskritarticle.com
Received: 03-09-2015
Accepted: 05-09-2015

डॉ. रविश तमन्ना ताजिर
संस्कृत-पालि एवं प्राकृत विभाग,
रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

Correspondence:

डॉ. रविश तमन्ना ताजिर
संस्कृत-पालि एवं प्राकृत विभाग,
रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मनुस्मृति में निरूपित नारियों की आर्थिक स्थिति: स्त्रीधन के विशेष संदर्भ में

डॉ. रविश तमन्ना ताजिर

समाज का उत्कर्ष आर्थिक जीवन की सम्पन्नता और समुन्नति पर निर्भर करता है। व्यक्ति का भौतिक सुख उसके आर्थिक विकास से प्रभावित होता है। मनुस्मृति कालीन समाज में आर्थिक जीवन का मूल आधार कृषि तथा व्यापार रहा है। इस काल में कृषि तथा व्यापार की समृद्धता ही समाज एवं परिवार की आर्थिक स्थिति की दशा का निर्धारण करते थे। आर्थिक रूप से जब महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करते है, तो देखते है कि प्राचीनकाल से ही महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर रही है। इसका कारण संभवतः यह है कि औरत का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित था, एवं अर्थोपार्जन के सारे अधिकार पुरूषों तक। सम्पत्ति के अधिकार से विहीन महिलाओं को 4 शती ई.पू. कौटिल्य ने यह कहते हुए साम्पत्तिक अधिकार दिलाए कि " **सम्पत्ति को एक साथ मिलाकर रहने वाले भाई-बहनों में बांटना चाहिए।**"

इस विषयांगत मनुस्मृति का अनुशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि यद्यपि मनु ने महिलाओं के अर्थोपार्जन हेतु उन्हें कृषि तथा व्यापार की अनुमति नहीं दी है तथापि शिल्प कार्यो के द्वारा धनोपार्जन एवं भरण-पोषण की बात स्वीकार की है -

निधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवोन्नियममास्थिता।
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः।। मनु 9/75

महिलाओं को विषष परिस्थितियों में जीविका उपार्जन का अधिकार देते हुए मनु का विचार है कि जिनका पति जीवन-निर्वाह का प्रबंध किए बिना ही परदेश चला जाए, वे स्त्रियाँ अनिन्दित षिल्प अर्थात् कारीगरी से धन अर्जन करते हुए जीवन बिताए। इस प्रकार परिस्थिति विषेष में ही मनु ने स्त्रियों के धनार्जन की बात स्वीकारी है। साम्पत्तिक अधिकारों के क्षेत्र में प्राचीन काल से पतन के गर्त में गिरी हुई कन्याओं के प्रति भी मनु ने उदारता व्यक्त की है।

सम्पत्ति से सम्बद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है - उत्तराधिकार अर्थात् दायद कानून, जिसका मनु ने मनुस्मृति में विस्तार से विवेचन किया है। मनु ने सम्पत्ति के विभाजन में नारियों को कोई सीधा अधिकार तो प्रदान नहीं किया फिर भी पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का हिस्सा निर्धारित करने का श्रेय मनु को है। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का वह हिस्सा भाईयों की सम्पत्ति का चौथा अंश होता था। जो भाई बहन को यह हिस्सा नहीं देते थे मनु ने उनकी भत्र्सना की है -

व्येभ्योऽशेभ्यस्तु कन्याभयः प्रदद्यभ्रार्तरः पृथक्।
स्वात्सवादंषाच्चतुर्भागं पतितां स्युरदित्सवः।। मनु 9/118

अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत मनु ने बहनों को उनका भाग नहीं देने वाले भाईयों को पतित माना है। यहां उल्लेखनीय है कि मनु के द्वारा बनाए गए इस विधान का कोई निश्चित रूप न होने के कारण यह संपूर्णतः प्रचलन में नहीं आ सका एवं बाद में कन्या का यह चतुर्थ भाग उसके विवाह के खर्च में विलीन हो गया। इसके अतिरिक्त मनु ने पुत्रियों के लिए यौतक धन की भी व्यवस्था की थी। यौतक धन का तात्पर्य उस धन से था जो पति-पत्नी को उनके सगे संबंधियों द्वारा उस समय प्राप्त होता था जब वे दोनों विवाह के समय एक आसन पर बैठते थे। कन्या की माता अपने विवाह में प्राप्त इस धन को अपनी पुत्री के लिए संभालकर रखती थी। इसका निर्देष करते हुए मनु कहते है -

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः। मनु 9/131

मनु ने विवाहित कन्याओं के प्रति उदारता प्रदर्शित करते हुए उनके लिए भी धन-सम्पत्ति के अधिकारों की व्यवस्था की है। मनु ने अनुसार दाय भाग के विभाजन के समय यदि बड़ा अथवा छोटा भाई सन्यास ग्रहण कर ले अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी सम्पत्ति को सभी सहोदर भाई-बहनों में बाँटना चाहिए। इस स्थिति में माता की सम्पत्ति में भी बहनों को हिस्सा मिलना चाहिए।

इस प्रकार कन्या को एवं विवाह उपरांत वधूओं को प्राप्त धन-सम्पत्ति, वैवाहिक अंश एवं उपहार को स्त्रियों की निजी सम्पत्ति मानते हुए इसी स्त्रीधन की संज्ञा दी है। यह स्त्रीधन वह सम्पत्ति है, जिस पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार होता है एवं वह उसका उपभोग भी कर सकती है। मनु ने इस स्त्रीधन के 6 प्रकार बताएं है।

" **अध्वग्न्ध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि।**

भातृमातृपितृप्राप्तंषड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्।।" मनु 9/194

मनु के द्वारा निरूपित स्त्रीधन के इन प्रकारों का स्वरूप इस प्रकार है -

1. अध्याग्नि - यह वह धन था जो विवाह के समय अग्नि के समक्ष स्त्री को प्राप्त होता था।

2. अध्यवाहनिक - जब वधू पिता के घर से पति के घर जाती थी तो उस समय उसे मिलने वाला धन अध्यवाहनिक कहलाता था।

3. प्रीतिदत्त - प्रीति के चिन्ह के रूप में पति, से प्राप्त धन या उपहार प्रीतिदत्त कहलाता था। इसके अतिरिक्त माता, पिता या भाई से प्रेमपूर्व मिला धन स्त्रीधन होता था। इसके साथ ही मनु ने अन्वाधेय तथा यौतक धन का भी स्त्रीधन के अंतग्रत समावेष किया है। यौतक धन का पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है एवं अन्वाधेय धन का आशय विवाह के पश्चात् पति कुल और पितृकुल से प्राप्त धन से है। इसके साथ ही विवाह के समय आगन्तुकों द्वारा प्रदत्त भेंट का भी मनु ने अन्वाधेय के अंतर्गत समावेष किया है।

उपर्युक्त सभी प्रकार के स्त्रीधनों के उत्तराधिकार के संबंध में वैदिक युग के समान ही मनु ने अविवाहित एवं निर्धन कन्या को स्त्रीधन का दायाद माना है। इस विषय में प्रायः सभी स्मृतिकारों ने इस आधार पर कन्या को स्त्रीधन का उत्तराधिकारी बताया है कि कन्या में माता का अंश अधिक होता है। इस प्रकार अविवाहित, अपुत्रा तथा निर्धन कन्या द्वारा स्त्रीधन प्राप्त करने की व्यवस्था मनु ने अपनी आर्थिक व्यवस्था में की है। इस विषय में अनेक विद्वानों का मत है कि चूंकि पिता की सम्पत्ति में कन्याओं को अंश नहीं मिलता था एवं माता का अपनी पुत्री के लिए विशेष अनुराग होता था इसलिए स्त्रीधन के उत्तराधिकार के विषय में कन्याओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। इसके साथ ही कन्या के न होने पर स्त्रीधन का उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते थे। स्त्रीधन का बलपूर्वक दुरूपयोग करने वालों के लिए न केवल ब्याज सहित लौटाने का नियम था अपितु दण्ड का भी विधान था। इस सम्पूर्ण विवेचन के अनुशीलन से स्पष्ट है कि मनुस्मृति में प्राप्त आर्थिक व्यवस्था में मनु ने स्त्रीधन के रूप में स्त्रियों के आर्थिक हितों को सुरक्षा करने का प्रयास किया है।